न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू	तारीख फैसला
97 / 2024	29.8.2024	24.3.2026

1. फूला बेवा मगन्या, निवासी जाहरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,

2. नरेश पुत्र मगन्या एवं

3. महेश पुत्र मगन्या

नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता फूला बेवा मगन्या, निवासी जाहरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

वादीगण

बनाम

रामलखन उर्फ पप्पू पुत्र किशोरी, निवासी जाहरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,

प्रतिवादी

वाद पत्र बावत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 24.3.2026

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि वादीगण की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 2090 रकवा 1.15 हैक्टेयर ग्राम जाहरा, तहसील बामनवास में स्थित है, जिस पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी का वादीगण की सहखातेदारी की उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है । प्रतिवादी आपराधिक प्रवृति का एवं प्रभावशाली मीना जाति का व्यक्ति है, जिसका कोई परिवार नहीं है । प्रतिवादी आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करता रहता है । दिनांक 22.7.2024 को जब वादीगण अपनी उक्त आराजी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Kadela
Date: 2026.04.08 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

देखभाल करने एवं जोत लगाने गये, तभी प्रतिवादी भी वादीगण के पास आकर वादीगण को वादीगण की उक्त भूमि से बेदखल कर स्वयं ही काश्त कर जोत लगाने की धमकी देने लग गया । प्रतिवादी आपराधिक व गुण्डा प्रवृति का व्यक्ति है, जिसको कानून की कोई परवाह नहीं है । प्रतिवादी अपनी बेजा हरकतों से उस समय तक बाज नहीं आयेगा, जब तक कि उसको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमा दिया जायेगा ।

प्रतिवादी को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए लेकिन बावजूद तामील उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया, इसलिए दिनांक 23.6.2025 को उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व वादीगण को अपनी ओर से एक पक्षीय साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, जिसमें वादिया फूल्या ने अपने आपको बतौर पी.ड. 1 एवं महेश को बतौर पी.ड. 2 परीक्षित कराकर साक्ष्य समाप्त की तथा प्रलेखीय साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श 1 व नक्शा ट्रैस प्रदर्श 2 को प्रदर्शित कराया ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि कि क्या वादीगण प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 2090 रकवा 1.15 हैक्टेयर स्थित ग्राम जाहरा, तहसील बामनवास के उपयोग, उपभोग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही किसी दूसरे से करवाये, जिस बिन्दु पर हमारा विनम्र मत इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

भारतीय विधि में यह स्पष्ट प्रावधान हैं कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद पेश किया जाता है और यदि दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति द्वारा पेश किए गए वाद का कोई खण्डन नहीं करता है, चाहे ऐसा खण्डन अनुपस्थिति के माध्यम से ही क्यों न हो, यह माना जावेगा कि द्वितीय व्यक्ति ने प्रथम व्यक्ति द्वारा पेश किए गए दावे के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, ऐसी स्थिति में वाद पेश करने वाले व्यक्ति को अपना वाद प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ऐसा वाद स्वमेव प्रमाणित है । यदि विधि की इस मंशा को देखा जाये तो प्रतिवादी ने वादीगण द्वारा पेश किए गए वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, ऐसी स्थिति में वाद पत्र एक पक्षीय तौर पर डिक्री किया जा सकता है ।

अब यदि विधि के इस प्रावधान से भी हटकर इस तथ्य पर विचार करें कि क्या वादीगण अपना वाद साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित कराने में सफल रहे हैं तो इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से गवाह फूला पी.ड. 1 को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी व उसके अन्य सहवादीगण की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 2090 रकबा 1.15 हैक्टेयर ग्राम जाहरा, तहसील बामनवास में स्थित है, जिस पर वही अपने सहवादीगण के साथ काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । रामलखन का उसकी, अर्थात फूला की व उसके अन्य सहवादीगण की सहखातेदारी की उक्त [illegible] किसी प्रकार का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है । रामलखन आपराधिक प्रवृति का एवं प्रभावशाली मीना जाति का सदस्य है, जिसको कानून की कोई परवाह नहीं है । रामलखन आये दिन उसके व उसके अन्य सहवादीगण के कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

काश्त में व्यवधान पैदा करता रहता है । दिनांक 22.7.2024 को जब वह अपने सहवादीगण के साथ अपनी उक्त आराजी की देखभाल करने एवं जोत लगाने गई, तभी रामलखन भी उसके व उसके अन्य सहवादीगण के पास आकर उसको व उसके सहवादीगण को उसकी व उसके अन्य सहवादीगण की उक्त भूमि से बेदखल कर स्वयं ही काश्त कर जोत लगाने की धमकी देने लग गया । आगे कथन किया है कि रामलखन अपनी बेजा हरकतों से उस समय तक बाज नहीं आयेगा, जब तक कि उसको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमा दिया जायेगा । साक्ष्य में अपने दावे को डिक्री किए जाने का अनुरोध किया है ।

गवाह महेश पी.ड. 2 ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 2090 रकवा 1.15 हैक्टेयर ग्राम जाहरा, तहसील बामनवास उसकी व अन्य सहवादीगण की सहखातेदारी की है और पैतृक है, जिस पर वह अपने सहवादीगण के साथ काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । आगे कथन किया है कि उक्त भूमि उसकी पैतृक भूमि है, जिस पर प्रतिवादी रामलखन जोर जबरदस्ती से कब्जा करना चाहता है । उक्त आराजी से रामलखन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, आवारा किस्म का व्यक्ति होने व मीना जाति का व्यक्ति होने के कारण रामलखन हमसे जोर जबरदस्ती कर रहा है । रामलखन को कानून की कोई परवाह नहीं है । रामलखन आये दिन हमारी काश्त में व्यवधान पैदा करता रहता है । दिनांक 22.7.2024 को जब वह अपने सहवादीगण के साथ अपनी उक्त आराजी की देखभाल करने एवं जोत लगाने गया, तभी रामलखन भी हमारे पास आकर उसको व अन्य सहवादीगण को उसकी व अन्य सहवादीगण की उक्त भूमि से बेदखल करने व स्वयं ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Kurela
Date: 2026.04.08 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

काश्त कर जोत लगाने की धमकी देने लग गया । रामलखन अपनी बेजा हरकतों से उस समय तक बाज नहीं आयेगा, जब तक कि उसको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमा दिया जायेगा, जिसके लिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है । इस गवाह ने शपथ पत्र पर ए.. बी अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करवाया है ।

उल्लेखनीय होगा कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत किसी भी गवाह से किसी भी हद तक प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है, इसलिए वादीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नज़र नहीं आता है । वादीगण की साक्ष्य पत्रावली पर अखण्डित है ।

इस मौखिक साक्ष्य के अलावा वादीगण की ओर से संवत् 2075 से 2078 की जमाबंदी प्रदर्श 1, हाल खसरा नम्बर 2090 रकवा 1.15 हैक्टेयर, स्थित ग्राम जाहरा, तहसील बामनवास के संदर्भ में पेश की जाकर उसको प्रदर्शित करवाया गया है, जिसके अनुसार भी आराजी खसरा नम्बर 2090 का पूर्व खातेदार वादिया फूला का पति एवं वादीगण नरेश व महेश का पिता स्व. मगन्या था, जिसके निधन के बाद उक्त आराजी वादीगण के नाम हो गई, इसमें कहीं भी प्रतिवादी रामलखन की भागीदारी या आंशिक भागीदारी का कोई हवाला नहीं है। इसके अलावा वादीगण की ओर से नक्शा प्रदर्श 2 भी पेश किया जाकर उसको प्रदर्शित करवाया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे में किए गए कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता । संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से वादीगण का यह वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किए जाने योग्य पाया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

आदेश

वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री किया जाता है व प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पावंद किया जाता है कि वह वादीगण को उसकी आराजी खसरा नम्बर 2090 रकवा 1.15 हैक्टेयर स्थित ग्राम जाहरा, तहसील बामनवास के उपयोग, उपभोग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही किसी दूसरे से करवाये, वाद व्यय बाबत किसी प्रकार का आदेश नहीं है, डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 24-3-26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

1. फूला बेवा मगन्या, निवासी जाहरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,

2. नरेश पुत्र मगन्या एवं

3. महेश पुत्र मगन्या

नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता फूला बेवा मगन्या, निवासी जाहरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

वादीगण

बनाम

रामलखन उर्फ पप्पू पुत्र किशोरी, निवासी जाहरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,

प्रतिवादी

<u>वाद पत्र बावत स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>राजस्व वाद संख्या 97/2024</u>

वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आज दिनांक 24-3-26 को मुझ पीठासीन अधिकारी प्रियंका कडेला, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादीगण का वाद पत्र एक पक्षीय स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण को उसकी आराजी खसरा नम्बर 2090 रकबा 1.15 हैक्टेयर स्थित ग्राम जाहरा, तहसील बामनवास के उपयोग, उपभोग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही किसी दूसरे से करवाये, वाद व्यय बाबत किसी प्रकार का आदेश नहीं है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 24.3.26 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner